सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्र संख्या–प0नि0 30–67 / 2023– 1620

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
सारण।

पटना, दिनांक – 28/3/2024

विषय :– नाम निर्देशन से संबंधित प्राप्त परिवाद के संबंध में।

प्रसंग :– आयोग का पत्रांक 204 दिनांक 18.01.2024, 902 दिनांक 20.03.2023 एवं 2905 दिनांक 10.08. 2023

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्रों द्वारा श्री उपेन्द्र नारायण सिंह, ग्राम– खानपुर, पो0– दिघवारा, जिला–सारण से प्राप्त परिवाद पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की जाँच कराकर जाँच प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था। परंतु इतनी लम्बी अवधि के बाद भी वांछित प्रतिवेदन अप्राप्त है। इसी बीच पुनः श्री उपेन्द्र नारायण सिंह का परिवाद प्राप्त हुआ है जिसे संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अनुरोध है कि परिवाद पत्रों में उठाये गये बिन्दुओं की जाँच वरीय पदाधिकारी से करवाकर जाँच प्रतिवेदन आयोग को एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
28/3/24
विशेष कार्य पदाधिकारी,।

ज्ञापांक प0नि0 30–67 / 2023– 1620 पटना, दिनांक– 28/3/2024

प्रतिलिपि : श्री उपेन्द्र नारायण सिंह, ग्राम– खानपुर, पो0– दिघवारा, जिला–सारण (PS202312181424056) को सूचनार्थ प्रेषित।

28/3/24
विशेष कार्य पदाधिकारी,।

ज्ञापांक प0नि0 30–67 / 2023– 1620 पटना, दिनांक– 28/3/2024

प्रतिलिपि : आई.टी.सेल, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को समाधान पोर्टल पर अपलोड हेतु प्रेषित।

28/3/24
विशेष कार्य पदाधिकारी,।

ज्ञापांक प0नि0 30–67 / 2023– 1620 पटना, दिनांक– 28/3/2024

प्रतिलिपि : लोक शिकायत निवारण कोषांग, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/3/24
विशेष कार्य पदाधिकारी,।

ज्ञापांक प0नि0 30–67 / 2023– 1620 पटना, दिनांक– 28/3/2024

प्रतिलिपि : प्रमंडलीय आयुक्त, सारण प्रमंडल, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/3/24
विशेष कार्य पदाधिकारी,।

अवलोकनार्थ

सचिव

रा०नि०आयुक्त रा०नि०आयोग

सेवा में,

माननीय सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार, पटना ।

विषय : सारण जिला के दरियापुर भाग–2 के जिला परिषद सदस्य करूणेश सिंह द्वारा वर्ष 2021 में नामांकन हेतु दाखिल शपथ पत्र में दिये गए असत्य, अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण विवरणी की जाँच एवं कार्रवाई हेतु पटना उच्च न्यायालय में दायर सी0डब्लू0जे0सी0–9760 of 2023 में दिनांक 22.01.2024 को पारित आदेश के आलोक में समर्पित अभ्यावेदन पर समुचित कार्रवाई हेतु अनुरोध ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में भवदीय को निम्न तथ्यों से अवगत करना चाहते है :

1. करूणेश सिंह ने शपथ पत्र में अपने उपर छपरा न्यायालय में लंबित अपराधिक काण्डों में डेरनी थाना कांड संख्या–88/09 एवं 89/09 कुल संख्या –2 का ही विवरण दिया है जबकि डेरनी थाना में 27 आर्म्स एक्ट एवं अन्य अपराधिक धाराओं में दर्ज कांड संख्या–90/19 का विवरण नहीं दिया है ।
2. करूणेश सिंह को शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या–06/2017 से प्राप्त एक कीमती राईफल है जिसका उल्लेख शपथ पत्र में नहीं किया गया है ।
3. करूणेश सिंह ने अभ्यार्थी बायोडाटा के कॉलम –10 में अपना पेशा किसान बताया है जबकि उनके नाम से दरियापुर प्रखण्ड के खानपुर बाजार में वर्ष 2021 में माँ भवानी प्रतिष्ठान अनुज्ञप्ति संख्या–सी0एफ0के0 –21101605731 नाम से खाद एवं युरिया की दुकान थी । इस दुकान का वार्षिक आय का विवरण शपथ पत्र में नहीं दिया गया है ।
4. इनके द्वारा सम्पत्ति का गलत विवरण दिया गया है । अपने सगे चाचा की सम्पत्ति को भी निजी सम्पत्ति घोषित किया है ।
5. सारण जिला प्रशासन को इनके द्वारा अपराधिक इतिहास का अधूरा विवरण प्रस्तुत किये जाने के कारण वर्ष 2024 में इनका शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या–06 /2017 निलंबित कर दिया गया है ।

स्मरणीय है कि राज्य निर्वाचन आयोग बिहार सहित जिला निर्वाचन पदाधिकारी सारण को वर्ष 2022 से ही उपरोक्त वर्णित तथ्यों से अवगत कराते हुए जाँच का अनुरोध करता रहा हूँ परन्तु अधीनस्थ पदाधिकारियों से जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त होने का हवाला देकर अग्रिम कार्रवाई लंबित रहने की बात बताई जाती है ।

अतः साग्रह निवेदन करना है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में मेरे अभ्यावेदन पर एक समय सीमा के अन्दर जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर समुचित कार्रवाई करने की कृपा करना चाहेंगे

आपका विश्वासी,

1/3/2024

(उमेन्द्र नारायण सिंह)
ग्राम–खानपुर पो0–दिधवारा
जिला–सारण, बिहार–841207

(67)

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

Civil Writ Jurisdiction Case No.9760 of 2023

Upendra Narayan Singh, Son of Late Mahavir Singh Resident of Village Khanpur, P.S. Derni, District Saran at Chapra at present Mohalla- Kasai Colony, A.N. Singh Road, Police Station- Doranda, District- Ranchi (Jharkhand).

... ... Petitioner/s

Versus

1. The State of Bihar through the Principal Secretary, Gram Panchayat Raj Department, Patna.
2. The Secretary, Bihar Rajya Election Commission, Patna.
3. The District Magistrate, Saran at Chapra.
4. The Sub Divisional Officer Sonepur, Saran at Chapra.
5. The Block Development Officer, Dariyapur Block, Saran at Chapra.
6. Karlenesh Kumar Singh, Son of Bireendra Singh, Resident of Village Khanpur, Police Station Derni, District- Saran at Chapra.

... ... Respondent/s

Appearance :

For the Petitioner/s	:	Mr.Pramod Ban Bihari Singh, Advocate
For the State	:	Mr.Kumar Alok (Sc7)
For the SEC	:	Mr. Ravi Ranjan, Advocate

CORAM: HONOURABLE MR. JUSTICE PURNENDU SINGH

ORAL ORDER

3 22-01-2024 Heard Mr. Pramod Ban Bihari Singh, learned counsel appearing on behalf of the petitioner; Mr. Kumar Alok, learned SC 7 for the State and Mr. Ravi Ranjan, learned counsel for the SEC.

2. Learned counsel appearing on behalf of petitioner seeks to withdraw the present writ petition with a liberty to avail the appropriate remedy in accordance with law

WEB COPY

(11)

for the relief, as sought for in the present writ petition.

3. The writ petition is, accordingly, disposed of.

(Purnendu Singh, J)

Sanjay/-

U			

WEB COPY

165

समाहरणालय, सारण (बिहार)

(जिला शस्त्र शाखा)

ज्ञापांक - 04 /श0 शा0 छपरा, दिनांक 6.1.2024.

प्रेषित,

श्री उपेन्द्र नारायण सिंह,
ग्राम-खानपुर, पोस्ट-दिघवारा,
थाना-दिघवारा, जिला-सारण।
मो0नं0

विषय- **सूचना के अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।**

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन पत्र दिनांक-14.12.2023 के आलोक में कहना है कि शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या-06/2017 को इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक-670/श0शा0, दिनांक-30.10.2023 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए अनुज्ञप्तिधारी से कारण पृच्छा किया गया है।

सूचनार्थ प्रेषित।

06/01/2024

जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,
छपरा, सारण।

सेवा में,

सचिव,
राज्य चुनाव आयोग बिहार,
पटना ।

विषय : सारण जिला के दरियापुर भाग–2 से जिला परिषद सदस्य पद के नामांकन में करूणेष कुमार सिंह के द्वारा समर्पित शपथ पत्र में दिये गए असत्य त्रुटिपूर्ण एवं अधूरा विवरणी की जाँच हेतु दायर शिकायत पत्र के निष्पादन मे अस्वाभाविक विलंब किये जाने के संबंध में ।

महाशय,

निवेदन करना है कि करूणेष कुमार सिंह के द्वारा जिला परिषद सदस्य दरियापुर भाग–2 के नामांकन हेतु दायर शपथ पत्र की सत्यता के जाँच हेतु मैने पूर्व में भवदीय / जिला पदाधिकारी सारण के यहाँ एक ज्ञापान छायाप्रति संलग्न समर्पित किया था । जिसके जाँच का दायित्व जिला पंचायत पदाधिकारी सारण /अनुमण्डल पदाधिकारी सोनपुर को दिया गया है ।

विदित हो कि जाँच पदाधिकारी द्वारा जाँच कार्य को अकारण लटकाया जा रहा है जबकि मैं शिकायतकर्त्ता जाँच में हर संभव सहयोग देने का अश्वासन दिया है परन्तु इसके बावजूद जाँच अधिकारी ने अब तक मुझसे कोई सहयोग नही लिया है ।

मेरा मानना है कि Justice Delayed Justice Denied और जिला जिला परिषद सदस्य करूणेष कुमार सिंह ने अपने राजनैतिक पहुँच पैरवी एवं रसुख के बल पर इस कहावत को चरितार्थ कर दिया है ।

अतः आपसे आग्रह करना है कि मेरे शिकायत पत्र की जाँच हेतु प्रतिनियुक्ति पदाधिकारी को जाँच कार्य के त्वरित निष्पादन हेतु आवश्यक निर्देश देने की कृपा करना चाहेंगे ।

विश्वासभाजन,

(उपेन्द्र नारायण सिंह)
ग्राम–खानपुर पो0–दिघवारा
जिला–सारण, बिहार
841207
दिनांक –27.02.2023

83

पत्रांक 9/24 दिनांक 12-1-24

Seen
15.1.24

प्रेषक

श्रीमती रिंकू कुमारी,
न्या० दण्डा० प्र० श्रे०, सारण, छपरा

प्रेषित

श्रीमान मुख्य न्या० दण्डा०
सह
लोक सूचना पदाधिकारी,
सारण, छपरा

विषय – कुरती चालान सं० - 90/19 के वर्तमान स्थिति के संबंध में।

महाशय,

श्रीमान मुख्य न्या० दण्डा० सह लोक सूचना पदाधिकारी सारण, छपरा के पत्रांक 56 दि० 9-1-24 के संबंध में श्रीमान को सादर सूचित करना है कि यह अभिलेख विद्वान न्या० दण्डा० श्री प्रियांशु शर्मा के न्यायालय से दि० 9-6-23 को स्थानांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। अभिलेख पर परिवाद पत्र और विरोध पत्र उपलब्ध है। अभिलेख औचित्य प्रपत्र की प्रक्रिया में लंबित है। अभिलेख में अगली तिथि दि० 16-3-24 निर्धारित है।

श्रीमान को सादर सूचनार्थ समर्पित।

न्या० दण्डा० प्र० श्रे०,
सारण, छपरा

(82)

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

संख्या–पं०नि०–30–34 / 2022(खंड–1) –2405
प्रेषक,

उपसचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
–सह–जिला पदाधिकारी, छपरा, सारण।

पटना, दिनांक 10 अगस्त, 2023

विषयः– **पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के अवसर पर नामांकन पत्र में अपराधिक मामलों तथा गलत शपथ पत्र लगाकर किये गये नामांकन से संबंधित परिवाद पत्र पर नियमानुसार कार्रवाई करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्री उपेन्द्र नारायण सिंह, ग्राम–खानपुर, पो०–दिघवारा, जिला–सारण, छपरा के द्वारा सारण जिला के दरियापुर भाग–2 से जिला परिषद सदस्य श्री करूनेश कुमार सिंह के द्वारा अपराधिक मामलों एवं तथ्यों को छुपाकर किये गये नामांकन पर कार्रवाई करने से संबंधित प्राप्त परिवाद पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए प्रेषित किया जा रहा है। (अनुलग्नक सहित)

अतः अनुरोध है कि प्राप्त परिवाद पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की जाँच कराते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाय एवं कृत कार्रवाई से अपने मंतव्य के साथ आयोग को भी अवगत कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
(हस्ताक्षर) 10.8.23
उप सचिव।

ज्ञापांक–पं०नि०–30–34 / 2022(खंड–1) 2405 पटना, दिनांक 10 अगस्त, 2023

प्रतिलिपिः प्रमंडलीय आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 10.8.23
उप सचिव।

ज्ञापांक–पं०नि०–30–34 / 2022 (खंड–1) 2405 पटना, दिनांक 10 अगस्त, 2023

प्रतिलिपि श्री उपेन्द्र नारायण सिंह, ग्राम–खानपुर, पो०–दिघवारा, जिला–सारण, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 10.8.23
उप सचिव।

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

संख्या–प०नि०–30–265 / 2021(खंड)

प्रेषक,

उप सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
–सह–जिला पदाधिकारी, सारण।

पटना, दिनांक जून, 2022

विषय– पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के अवसर पर नामांकन से संबंधित परिवाद पत्र पर नियमानुसार कार्रवाई करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्री उपेन्द्र नारायण सिंह, ग्राम–खानपुर पो०–दिगवारा, जिला–सारण के द्वारा सारण जिला अन्तर्गत दरियापुर भाग–2 के जिला परिषद सदस्य श्री करूनेश कुमार सिंह के द्वारा तथ्यों को छुपाकर किये गये नामांकन पत्र को रद्द करने से संबंधित प्राप्त परिवाद पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए प्रेषित किया जा रहा है। (अनुलग्नक सहित)

अतः अनुरोध है कि प्राप्त परिवाद पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की जाँच कराते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय। कृत कार्रवाई से आयोग को भी अवगत कराया जाय।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन,

उप सचिव।

ज्ञापांक पं०नि०–30–265 / 2021(खंड)
पटना, दिनांक जून, 2022

प्रतिलिपि: प्रमंडलीय आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव।

ज्ञापांक– पं०नि०–30–265 / 2021(खंड)
पटना, दिनांक जून, 2022

प्रतिलिपि श्री उपेन्द्र नारायण सिंह, ग्राम–खानपुर, पो०–दिगवारा, जिला–सारण को सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव।

3rd floor, Birchand Patel Marg, Patna – 800 001 Phone 2506826, 2506847, 2505944, 2506904 Fax 0612 – 2507347 | E-mail: secbihar@gmail.com

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

संख्या–पं०नि०–30–35 / 2022 902

प्रेषक,

उपसचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
–सह–जिला पदाधिकारी, सारण।

पटना, दिनांक 20 मार्च, 2023

विषयः– **पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के अवसर पर विविध मामलों में किये गये नामांकन से संबंधित परिवाद पत्र पर नियमानुसार कार्रवाई करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्री उपेन्द्र नारायण सिंह, ग्राम–खानपुर, पो०–दिघवारा, जिला–सारण के द्वारा सारण जिला अन्तर्गत दरियापुर भाग–2 के जिला परिषद सदस्य श्री करूनेश कुमार सिंह के द्वारा तथ्यों को छुपाकर किये गये नामांकन पत्र से संबंधित जाँच प्रतिवेदन में विलम्ब किये जाने करने से संबंधित प्राप्त परिवाद पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए प्रेषित किया जा रहा है। (अनुलग्नक सहित)

अतः अनुरोध है कि प्राप्त परिवाद पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की जाँच कराते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाय एवं कृत कार्रवाई से आयोग को भी अवगत कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
20.3.23
उप सचिव।

पटना, दिनांक 20 मार्च, 2023

ज्ञापांक–पं०नि०–30–35 / 2022 902
प्रतिलिपिः प्रमंडलीय आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

20.3.23
उप सचिव।

पटना, दिनांक 20 मार्च, 2023

ज्ञापांक–पं०नि०–30–35 / 2022 902
प्रतिलिपि श्री उपेन्द्र नारायण सिंह, ग्राम–खानपुर, पो०–दिघवारा, जिला–सारण को सूचनार्थ प्रेषित।

20.3.23
उप सचिव।

Sone Bhawan, 3rd Floor, Birchand Patel Marg, Patna – 800 001 Phone 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax: 0612-2507847] E-mail: secbihar@gmail.com

D:shiv>Rajeev Ji>Parivad

16

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

प्रपत्र 'घ'
(नियम--4(1) देखें)
आवेदक को सूचना उपलब्ध कराना

संचिका सं0-- सूचना 20-77/23-24 173
प्रेषक,

लोक सूचना पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग,
सोन भवन, तृतीय मंजिल,
बीरचंद पटेल मार्ग,
बिहार, पटना -- 800001

सेवा में,

श्री उपेन्द्र नारायण सिंह,
ग्राम--खानपुर, पोस्ट--दिघवारा,
जिला--सारण--841207

पटना, दिनांक-- 21.9.23

विषय :-- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त आपके सूचना आवेदन दिनांक-- 19.09.2023 आई. डी. स.0 50/23-24 द्वारा मांगी गई सूचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आपके द्वारा माँगी गई सूचना आयोग के पत्रांक--2905 दिनांक 10.08.2023 के द्वारा जिला पदाधिकारी, सारण से जाँच की मांग की गई है। अभी तक जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है।

अनु0--यथोक्त

विश्वासभाजन
(हस्ताक्षर) 21/9/23
लोक सूचना पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

(55)

सेवा में,

जिला निर्वाचन पदाधिकारी

सारण

विषय:– सारण जिला के दरियापुर भाग–2 से वर्ष 2021 में जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन के लिए शपथ पत्र भरने में करूणेश कुमार सिंह द्वारा सम्पति का गलत विवरण प्रस्तुत किये जाने के समबन्ध में।

महाशय,

उर्पयुक्त विषय के समबन्ध में आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए निम्नतथ्यों से आपको अवगत कराना चाहते है।

(1) करूणेश कुमार सिंह पिता स्व वीरेन्द्र सिंह ग्राम– खानपुर जिला– सारण से वर्ष 2021 में दरियापुर भाग–2 के लिए जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन हेतु दायर शपथपम के कालम–4 क (iii) में अपना भवन– पक्का मकान लम्बाई 35 फीट चौड़ाई 30 फीट उचाई 12 फीट कीमत 20 लाख बताया है जबकि वस्तुस्थिति यह है कि मकान पुश्तैनी जमीन पर बना है इसमें इनके सगे बड़े चाचा 74 वर्षीय उपेन्द्र रानायण सिंह का ½ हिस्सा हैं। इस मकान का विधिवत वटवारा के लिए सोनपुर सब जज के न्यायलय में वटवारा वाद355 / 14 की सुनवाई चल रही है। न्यायलय के आदेश पर Pleader Commissioner ने सयुंक्त सम्पति (मकान) का प्रतिवेदन भी दिया है।

मेरा मानना है कि करूणेश कुमार सिंह ने पूरे मकान पर अपना कब्जा को बैधता प्रदान करने के लिए चुनाव आयोग के यहा गलत शपथ पत्र दाखिल किया है।

(2) करूणेश कुमार सिंह के पास एक राइफल है जिसकी कीमत वर्ष 2021 में लगभग एक लाख रूपये होगी। इसका विवरण शपथ पत्र विवरणी में नही दिया गया है।

(3) करूणेश कुमार सिंह के नाम दरियापुर प्रखण्ड के खानपुर वाजार में मां भवानी प्रतिस्ठान अनुज्ञप्ति स0 CFK21101605731 के नाम से खाद एवं यूरिया की दुकान है। इस दुकान से इन्हें सलाना लाखों रूपये की आय होती है। करूणेश कुमार सिंह ने इस दुकान के परिसम्पति एवं वार्षिक आय का विवरण अपने शपथ पत्र में नही दिया है।

अतः आपके सादर अनुरोध है कि दरियापुर भाग–2 से निर्वाचित जिला परिषद सदस्य की करूणेश कुमार सिंह द्वारा नामाकन के समय शपथ पत्र द्वारा सम्पति का गलत विवरण प्रस्तुत किये जाने पर उन्हें जिला परिषद सदस्य के पद से अयोग्य घोषित करने की कृपा करें।

विश्वासभाजन

[signature] 20/5/22

उपेन्द्र नारायण सिंह

ग्रामः खानपुर, पो0–दिघवारा

जिला–सारण–841207

संलग्न शपथ पत्र एवं उर्वरक लाइसेंस की छायाप्रति

प्रतिलिपि - राज्य चुनाव आयोग बिहार पटना

By Regd Post

~~जिलाधिकारी सारण,~~
(सह)
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ।

158

विषयः– दरियापुर भाग –2 से जिला परिषद सदस्य पद के लिए वर्ष 2021में करूणेश कुमार सिंह द्वारा नामांकन में अपने अपराधिक इतिहास का शपथ पत्र में अपूर्ण एवं भ्रामक विवरण प्रस्तुत किये जाने के संबंध में।

प्रसंगः– दिनांक 20/5/22 को निबंधित डाक से भेजा गया शिकायत पत्र।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निम्न तथ्यों से आपको अवगत कराना चाहते है :–

(1) करूणेश कुमार सिंह ने एनेक्चर अनुसूची (III) के कण्डिका 2 (III) में अपने उपर दायर अपराधिक काण्डो की संख्या–2 तथा 147, 148,149,427,323,324,383,307 भाग वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट में आरोपित बताया है। उन्होंने शपथ पत्र में थाना काण्ड सं0 एवं अपराधिक धाराओं का अलग–अलग उल्लेख नहीं दिया हैं। तथा साथ ही कई अपराधिक धाराओं का उल्लेख नहीं किया है। इसकी पुष्टी डेरनी थाना के प्रतिवेदन (छाया प्रति संल्गन) के अवलोकन से किया जा सकता है।

(2) कण्डिका (3) में छः माह पूर्व किसी ऐसे मामले जियमें छः माह से ज्यादा सजा हो सकती है उसका विवरण नामांकन करने वाली से माँगा गया है। करूणेश कुमार सिंह पर वर्ष 2019 में डेरनी थाना के काण्ड सं0–90/19 में कई अपराधिक धाराओं के अर्न्तगत मुकदमा दर्ज हुआ था। इन धाराओं में छः माह से ज्यादा सजा का प्रावधान है। यह मुकदमा अभी सुनवाई हेतु न्यायालय में लम्बित है करूणेश कुमार सिंह ने इस काण्ड का विवरण अपने शपथ पत्र में नहीं दिया है।

विदित हो कि करूणेश कुमार सिंह ने अपनी सम्पति के विवरण में अपने सगे चाचा के पुश्तेनी मकान को अपनी सम्पत्ति घोषित कर वैधता प्रदान करने की कोशिश की है। जबकि सम्पति के बटवारे के लिए सोनपुर सब जज न्यायालय में बटवारा वाद सं0–355/14 की सुनवाई चल रही है।

करूणेश कुमार सिंह ने अपने बायोडाटा के कॉलम–10 में अपना पेशा –किसान बताया है जबकि उनके नाम से दरियापुर अंचल के खानपुर बाजार में भवानी प्रतिष्ठान के नाम से अनुज्ञप्ति प्राप्त खाद एवं यूरिया की दुकान हैं जिससे उन्हें लाखों रुपये कि वार्षिक आय होती है।

मेरा मानना है कि करूणेश कुमार सिंह जिलापरिषद सदस्य दरियापुर भाग–2 ने वर्ष 2021 में नामांकन के लिए दायर शपथ पत्र में अपनी सम्पति एवं अपराधिक काण्डों की गलत एवं भ्रामक जानकारी दे कर चुनाव अधिनियम के प्रावधानों का उल्लघंन किया है।

अतः समुचित करवाई की प्रार्थना की जाती है।

विश्वाभाजन
[signature] 1/6/22
उपेन्द्र नारायण सिंह
ग्राम–खानपुर, पोस्ट–दिगवारा
जिला–सारण, 841207
मो0–9470519958

Received 1/6/2022
3693
2/6/22

संलग्न –
(i) ...
(ii) ...
(iii) ...
(iv) ...
(v) ...
(vi) ...

प्रतिलिपि – राज्य चुनाव आयोग बिहार पटना

19/03/2024

State Election Commission, Bihar

Samadhan

Complaint Details

Pending

Complaint Number	PS202403191209438	**District**	सारण
Complaint Mode	डक या कूरियर	**Block Name**	दरियापुर
Complaint Source	राज्य निर्वाचन आयोग	**Panchayat Name**	अकबरपुर
Information Type	शिकायत	**Ward**	2
Complaint Type	नाम निर्देशन	**Name Of Complainant**	UMENDRA NARAYAN SINGH
Nature Of Complaint	अन्य		
Description Of Complaint	NAM NIRDESHAN PRAPATRA ME GALAT TATHYA DENE KE SAMBANDH ME		
Letter Date	06/03/2024	**Document Of Complaint**	View
Date	19/03/2024 12:09:43	**Phase**	पंचायत आम निर्वाचन - 2021
Assigned To	सारण		